"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 06, Issue: 03, May – June 2019 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 5.266

राजस्थान में पंचायती राज का सफ़रनामा

वर्षा डागुर
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय महाविद्यालय,
बयाना, भरतपुर राजस्थान

जब बात भारत के ग्राम सभाओं की हो तो राजस्थान की चर्चा के बिना अधूरी है क्योंकि ग्राम सभाओं को पंचायती राज के तहत जो अधिकार मिले उसकी शुरुआत राजस्थान से मानी जा सकती है ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की थी ।(1) नेहरू ने कहा था "हम अपने देश में लोकतंत्र की आधारशिला रख रहे हैं, आज महात्मा गांधी जीवित होते तो बहुत प्रसन्न होते।"

महात्मा गांधी देश के विकास के लिए गांवों के विकास को अनिवार्य मानते थे और आज भी केंद्र और राज्यों के स्तर पर सरकारें चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखती हों सभी स्वीकार करती हैं कि ग्राम पंचायतों का विकास जरूरी है। समय के साथ धीरे-धीरे पंचायतें सशक्त हुई हैं और ग्राम सभाओं को एक के बाद एक अधिकार मिलते गए हैं। आज ग्राम सभा देश की एक ताकतवर सदन है, इसके पास भी तमाम अधिकार हैं जिससे गाँव में बसे नागरिक व्यवस्था को सजा संवार सकते हैं।

यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामसभा सबसे अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन यह बात भी सच है कि 73वें संविधान संशोधन(2) के बाद जिस तरह से ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार मिले उसी तरह से गांव की तस्वीर बदल रही है, सामाजिक सुधार की दिशा में ग्राम सभाओं के माध्यम से बड़ा काम हुआ है, वही नारी सशक्तिकरण को भी बल मिला है।

राजस्थान को पंचायती राज व्यवस्था के मामले में अग्रणी राज्य माना जाता है और राजस्थान के नागौर से पंचायती राज के मामले में जो शुरुआत हुई उसका प्रकाश आज एक लंबी यात्रा के बाद हमारे सामने है । इस यात्रा में विभिन्न तरह के आयोग बने, संविधान संशोधन हुआ तब जाकर देश की ग्राम सभाओं को स्वरूप मिला जहां गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और सरपंच इसकी अध्यक्षता करते हैं। 73वें संविधान संशोधन में यह भी व्यवस्था कर दी गई कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदाई है।

एक नजर डालते हैं राजस्थान में पंचायती राज की यात्रा पर, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में पंचायती राज की यात्रा अपनी शुरुआत से आज जिस मुकाम तक पहुंच गई है इसकी नींव 2 अक्टूबर 1952 को पड़ गई थी ।

1952 में देश के कुछ विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (3) शुरू किया गया जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता आदि के लिए केंद्र की ओर से राशि मुहैया कराई जानी थी। केंद्र की ओर से मिलने वाले पैसे को विकास खंडों की प्रशासनिक इकाई भी ग्राम सभा में खर्च करती थी इसलिए महसूस हुआ कि ग्रामसभा को ही जिम्मेदारी दी जाए । चूंकि राजस्थान की कुछ पंचायतों में यह व्यवस्था पहले से मौजूद थी इसलिए ग्राम सभाओं को सक्रिय करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई फिर भी पूरे राज्य में पंचायतों के गठन एवं संचालन हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953(4) में पारित किया गया और इस अधिनियम के पारित होने के बाद पंचायतों को पहली बार अधिकार निर्धारित हुए।

राजस्थान पंचायत अधिनियम 1959(5)के तहत पंचायतों के अधिकार में कुछ बढ़ोतरी की गई साथ ही केंद्र की ओर से लागू किए गए प्रावधानों को शामिल किया गया। पंचायतों को वित्तीय अधिकार से लेकर उनके कामकाज के बाबत विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994(6)

73वें संविधान संशोधन के बाद सभी राज्य सरकारों को 1 वर्ष के अंदर अपने राज्य में आवश्यक संशोधन कर नया कानून लागू करना था । राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 को 23 अप्रैल 1994 को विधिवत रूप से लागू कर दिया। इसमें पूर्व में प्रचलित दोनों अधिनियम के अलावा केंद्र की ओर से लागू किए गए 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को भी शामिल कर दिया गया।

पंचायती राज अधिनियम 1999 (7)

अक्टूबर 1999 में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में परिवर्तन किया गया और इसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण 15 फ़ीसदी से बढ़ाकर 21 कर दिया गया । इसके अलावा सरपंचों को पंचायत समिति एवं प्रधानों को जिला परिषद में पदेन सदस्य रखने का प्रावधान भी किया गया था ।

पंचायती राज अधिनियम 2000 (8)

जनवरी 2000 में किए गए संशोधन के तहत ग्राम सभा के अलावा हर वार्ड में अलग से वार्ड सभा आयोजित करने का प्रावधान भी किया गया और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जहां वार्ड़ सभा की पहल की गई और वार्ड पंचायती राज व्यवस्था में सुशासन की सबसे छोटी इकाई बन सकी।

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं :-

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला समिति/ जिला परिषद का गठन

ग्राम सभा की बैठकों के अलावा वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का आयोजन

अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण की व्यवस्था

ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के मतदाताओं से कराने का प्रावधान

विधायकों एवं सांसदों का संबंधित पंचायत समितियों एवं जिला परिषद में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया जाना

सरपंचों को पंचायत समिति एवं प्रधानों को जिला परिषद में पदेन सदस्य बनाया जाना

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को करारोपण का अधिकार

सभी पंचायत संस्थाओं को संपत्ति अर्जित करने, वार्षिक बजट, उधार लेने एवं अंकेक्षण कराने आदि के संबंध में जिला योजना समिति गठित करने की व्यवस्था

जिस तरह से केंद्र सरकार ने देश भर में पंचायती राज व्यवस्था को ताकतवर बनाने की सोच के साथ विविध समितियों का गठन किया उसी तरह राजस्थान सरकार ने अनेक समितियां बनाई और उनकी सिफारिशों के मुताबिक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए । राजस्थान सरकार द्वारा गठित ऐसी प्रमुख समितियां हैं:-

सादिक अली अध्ययन समिति(9) जिसका गठन नवंबर 1962 में किया गया । इस समिति के प्रमुख सुझाव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना,उसके कार्य संचालन, कार्य हस्तांतरण, कार्य समन्वय, सेवाओं की भर्ती और पदोन्नति आदि से सम्बंधित सुझाव शामिल थे। इस समिति ने पंचायतों के लिए स्थाई सचिवीय व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया सरकार ने समिति की सिफारिशें मानी और उसी आधार पर 1965 में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराए गए।

1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति(10) का गठन किया गया जिसने अपनी सिफारिश में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने का सुझाव दिया । इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय अधिकार की सिफारिश की । समिति ने जिला स्तर की सभी ग्रामीण विकास योजनाओं, उनके कर्मचारी, बजट आदि को भी जिला परिषद को हस्तांतरित करने की सिफारिश की । जिला परिषदों को महत्वपूर्ण बनाने में गिरधारी लाल समिति की सिफारिशें प्रमुख रूप से मानी गई।

हरलाल सिंह खर्रा समिति(11) का गठन 1990 में किया गया जिसकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान को ₹4 से बढ़ाकर ₹20 किया जाए। इस समिति ने जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सम्मिलित करने की भी सिफारिश की।

इस तरह देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। पंचायत चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर मात्र नहीं है बल्कि यह

संवैधानिक अनिवार्यता है । राज्य वित्त आयोग की ओर से हर 5वें वर्ष में पंचायती राज की व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। पंचायत चुनाव की व्यवस्था भी अब लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तरह ही राज्य शासन से स्वतंत्र हो चुकी है।

संदर्भ सूची

1 राजस्थान सरकार विभागीय वेबसाइट http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in

2 भारत सरकार की वेबसाइट https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-amendment-act-1992

3 बलदेव राज नायर , द इकनोमिक वीकली, 17 सितेम्बर 1960

4 रस्तोगी जे एस, वंदना प्रकाशन, 1981

5 राजस्थान सरकार विभागीय वेबसाइट http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in

6 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

7 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999

8 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2000

9 रिपोर्ट, सादिक अली, पंचायती राज अध्ययन दल, 1964

10 Report of the High Power Committee, Panchayati Raj, 1973

11 Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS), Volume 03, No. 04, Oct.-Dec., 2017